

प्रेस विज्ञप्ति थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 17.09.2022

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी कुईचवर थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया की करीब 03 करोड़ की अवैध सम्पत्ति की गयी कुर्क ।

शासन द्वारा संगठित माफियाओं/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में मे थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी कुईचवर थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते हुये फर्जी अभिलेखों के आधार पर अयोग्य लोगों से पैसै लेकर फर्जी तरीके से शिक्षक पद पर भर्ती कराता था तथा उसी पैसे से जे0डी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल जैतपुरा, भाटपाररानी जनपद देवरिया में निर्माण कर संचालित किया गया जिसकी अनुमानित लागत 02 करोड़ 33 लाख 52 हजार रुपए व एक अदद फॉर्च्यूनर चार पहिया वाहन रजि0 सं0 UP52AG0007 जो अपने नाम की क्रय किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए तथा अपनी माता चंद्रावती पत्नी जगदीश सिंह निवासी उपरोक्त के नाम से आराजी नंबर 841 रकबा 2948 वर्ग फीट स्थित ग्राम तुलसीराम तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर में जरिए रजिस्ट्री क्रय कर एक मंजिला मकान बनाया गया जिसकी अनुमानित कीमत ₹44 लाख 23 हजार 353 अर्थात् कुल अनुमानित कीमत 02 करोड़ 99 लाख 75 हजार 353 रु0 की संपत्ति अर्जित की गई है जिसे गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 12-09-2022 को निर्णित वाद संख्या D202217630001395 बनाम राकेश कुमार सिंह अंतर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में दिनांक 15/17-09-2022 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

जब्त की गई संपत्ति का विवरण-

- 01- जे0डी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल जैतपुरा, भाटपाररानी जनपद देवरिया (अनुमानित लागत 02 करोड़ 33 लाख 52 हजार रुपए)
- 02- एक अदद फॉर्च्यूनर चार पहिया वाहन रजि0 सं0 UP52AG0007(अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए)
- 03- आराजी नंबर 841 रकबा 2948 वर्ग फीट स्थित ग्राम तुलसीराम तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर में एक मंजिला मकान अभियुक्त के मां के नाम पर दर्ज (अनुमानित कीमत ₹44 लाख 23 हजार 353)

***गैंगेस्टर राकेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह का आपराधिक इतिहास*-**

- 01- मु0अ0सं0 07ए/1988 धारा 157,323 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 02- मु0अ0सं0 01/1996 धारा 147,148,307,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 03-मु0अ0सं0 01बी/1996 धारा 394 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 04-मु0अ0सं0 36/1999 धारा 147,148,149,307,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 05-मु0अ0सं0 234/1999 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 06-मु0अ0सं0 73/2003 धारा 408,409,419,420 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।

07- मु0अ0सं0 643/2015 धारा 147,148,323,504,506,457,307 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।

08-मु0अ0सं0 259/2018 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

09-मु0अ0सं0 263/2018 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

10-मु0अ0सं0 1403/2020 धारा 419,420,467,468,471, 120बी भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

11-मु0अ0सं0 21/2021 धारा 323,504,506,341 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।

12- मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

***जबती की कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

01-प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

03- मु0आरक्षी दिनेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

04- मु आरक्षी शैलेन्द्र गिरी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

05- आरक्षी आनन्द चौरसिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

06- आरक्षी विजय चौरसिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 17.09.2022थाना कोतवाली बांसी

***थाना कोतवाली बांसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया**

।*

अमित कुमार आनन्द,पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम, पुलिस उपाधीक्षक बांसी के कुशल निर्देशन मेंआज दिनांक 17-09-2022 को वेद प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व मेंमाननीय न्यायालय सी0जे0एम सिद्धार्थनगर द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट केश संख्या 499/2019 धारा 406/419/420 भा0द0वि0 थाना इटवा से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- आदिल उर्फ शेरु पुत्र अकिल राईनी निवासी मु0अकबरनगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण *-**

1-उ0नि0 पप्पू कुमार गुप्ता थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- उ0नि0 योगेश कुमार मणि थानाकोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

3-का0 गणेश सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

***आगामी त्यौहारचेहल्लुम, दुर्गा पूजा, दशहरा को सकुशल संपन्न कराये जाने के दृष्टिगत सुरक्षा/शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के मद्देनजर रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया* ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार "रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में आंतरिक दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल" हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी लाइन्स के निर्देशन में आज दिनांक 17-09-2022 को पुलिस कर्मियों द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों से संबंधित अभ्यास कराया गया एवं उक्त उपकरणों को दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई तथा दंगा निरोधी उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक व लाइन्स के अन्य अधि०/कर्म०गण मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 17.09.2022 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

थाना इटवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व हरिशंकर, पुलिस उपाधीक्षक इटवा के कुशल निर्देशन आज दिनांक 17-09-2022 को बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक इटवाके नेतृत्व में माननीय न्यायालय सी०जे०एम सिद्धार्थनगर द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट केश संख्या 58/1985 मु०अ०स०132/1983 धारा 323,504,325 भा०द०वि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. जमातुल तेली पुत्र खुदाबख्श निवासी इटवा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-उ०नि० अभिमन्यु सिंह थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

02. हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

03. कांस्टेबल अनूप यादव थाना इटवा सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-दिनांक 17.09.2022 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया एंटीरोमियो अभियान

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 17-09-2022 को पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़के निर्देशन में एंटीरोमियो अभियान के अंतर्गत उपनिरीक्षक कृष्ण प्रताप त्रिपाठी, आरक्षी मनोज यादव, महिला बीट पुलिस अधिकारी प्रजा पटेल द्वारा थाना शोहरतगढ़ क्षेत्र के शिवपति डिग्री कॉलेज, शिवपति इंटर कॉलेज, रेलवे स्टेशन शोहरतगढ़, पुलिस बूथ, टैक्सी स्टैंड शोहरतगढ़, भारत माता चौक, सब्जी मंडी आदि स्थानों पर एंटीरोमियो अभियान के अंतर्गत चेकिंग किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

कोतवाली सिद्धार्थनगरकेक्षेत्रान्तर्गत आपसी मारपीट की सूचना पर #PRV1499 ने घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुँचाकर बचायी जान

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम में सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी 112 के निर्देशन में कल दिनांक 16-09-2022 को रात्रि 22:00 बजे पीआरवी 1499 को इवेंट संख्या 1275 पर थाना सिद्धार्थनगर अन्तर्गत कोल्हुआ ढाला टोला साऊखोर से कालर ने मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दी। उक्त सूचना पर पीआरवी कर्मि तत्काल मौके पर पहुंचे तो कालर के लड़के को गंभीर चोट आई हुयी थी, जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दो पक्षों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था, जिस दौरान कॉलर का लड़का घायल हो गया था। पीआरवी कर्मियों द्वारा घायल व्यक्ति को परिजनों के साथ पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया।

घायलों की जान बचाने वाली टीम-

कमाण्डर- उ0नि0 राजेन्द्र यादव

सब कमाण्डर - आरक्षी जयगोविन्द यादव

पायलट - होमगार्ड श्याममिलन

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

अपर पुलिस अधीक्षक जनपदसिद्धार्थनगर द्वाराकेस मानिट्रिंग पैरवीकार महिला आरक्षीगण के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा केस मानिट्रिंग पैरवीकार के रूप में प्रत्येक न्यायालय में 01 -01 उच्च शिक्षित महिला आरक्षी की नियुक्ति की गयी है, इनका दायित्व है कि अपने न्यायालय के सभी मुकदमों की मानिट्रिंग करेंगी व गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगी, प्रतिदिन न्यायालय से जो भी सम्मन/वारण्ट निर्गत हो रहे हैं उनका समय से तामिला की मानिट्रिंग सुनिश्चित कराएगी तथा सभी पुलिसकर्मी केस मानिट्रिंगपैरवीकार, प्रभारी मानिट्रिंग सेल के निकट पर्यवेक्षण/निर्देशन में कार्य करेंगी। उक्त सभी केस मानिट्रिंग पैरवीकार मुकदमों की मानिट्रिंग हेतु एक-एक रजिस्टर तैयार करेंगी, जिसमें उनके द्वारा अपने - अपने मा० न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों का पूर्ण विवरण मानिट्रिंग सेल प्रभारी के निर्देशन में तैयार कर अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सभी केस मानिट्रिंग पैरवीकार प्रतिदिन अपने-अपने मा० न्यायालयों के लगे समस्त मुकदमों के सम्बन्ध में थानों के न्यायालय पैरवीकार/कोर्ट मोहररि/कोर्ट कर्मी/अभियोजन अधिकारी/शासकीय अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए वाँछित सूचना एकत्र करेंगे तथा केस मानिट्रिंग पैरवीकार सूचना से अवगत करायेंगी तथा प्रत्येक सप्ताह के अन्त में मानिट्रिंग सेल पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर का मिलान कराने हेतु निर्देशित किया गया। सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 17-09- 2022 को पुलिस कार्यालय में उक्त महिला आरक्षी गण की ब्रीफिंग की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2022

***महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया* ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 17-09-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 02 परिवारों को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान ,म०हे०मु० सविता सिंह, महिला आरक्षी प्रियंबदा सिंह, महिला आरक्षी अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. पार्वती पत्नी दिनेश साकिन जोगीवारी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.रीता पत्नी पृथ्वीराज साकिन पसबल थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

प्रेस नोट आपरेशन शिकंजा दिनांक 17-09-2022

ऑपरेशन शिकंजा के तहत थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या का आरोपी अनिल चौधरी को आजीवन कारावास तथा अभियुक्त को 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

ऑपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 17-09-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर वाद सं. 70/2017, मु.अ.सं.241/2017 धारा 302 भादवि में पंजीकृत थाना खेसरहा से सम्बन्धित आरोपित अभियुक्त को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अनिल चौधरी पुत्र जयराम चौधरी, निवासी करमडीह जमुवार, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा आजीवन कारावास तथा 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिसमें 50000/रु0 मृतक के माता-पिता को देने का आदेश पारित किया गया है। सरकार की तरफ से पैरवी ईश्वर चन्द्र दुबे, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार राजेश्वर चन्द्र, का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस विज्ञप्ति थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 17.09.2022

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह निवासी थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया की करीब 03 करोड़ की अवैध सम्पत्ति जब्त की गयी।

शासन द्वारा संगठित माफियाओं/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित शिक्षा माफिया राकेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी कुईचवर थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया की जनपद गोरखपुर व देवरिया में करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। शिक्षा माफिया राकेश सिंह द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर अयोग्य लोगों से पैसे लेकर फर्जी तरीके से शिक्षक पद पर भर्ती कराता था तथा उसी पैसे से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। अभियुक्त पर कुल 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा निम्न संपत्ति का गैंगेस्टर एक्ट धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तकरण का आदेश पारित किया गया था। जे0डी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल जैतपुरा, भाटपाररानी जनपद देवरिया लागत 02 करोड़ 33 लाख 52 हजार रुपए व एक अदद फॉर्च्यूनर चार पहिया वाहन रजि0 सं0 UP52AG0007 जो अपने नाम से क्रय किया गया है लागत 20 लाख रुपए तथा अपनी माता चंद्रावती पत्नी जगदीश सिंह निवासी उपरोक्त के नाम से आराजी नंबर 841 रकबा 2948 वर्ग फीट स्थित ग्राम तुलसीराम तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर में जरिए रजिस्ट्री क्रय कर एक मंजिला मकान बनाया गया जिसकी कीमत ₹44 लाख 23 हजार 353 है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत ₹2,99,75,353। उक्त अवैध संपत्ति की जब्तिकरण की कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक मोहाना द्वारा जनपद गोरखपुर व देवरिया में 15 से 17 सितम्बर के बीच पूर्ण की गई।

जब्त की गई संपत्ति का विवरण-

- 01- जे0डी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल जैतपुरा, भाटपाररानी जनपद देवरिया (लागत 02 करोड़ 33 लाख 52 हजार रुपए)
- 02- एक अदद फॉर्च्यूनर चार पहिया वाहन रजि0 सं0 UP52AG0007(लागत 20 लाख रुपए)
- 03- आराजी नंबर 841 रकबा 2948 वर्ग फीट स्थित ग्राम तुलसीराम तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर में एक मंजिला मकान अभियुक्त के मां के नाम पर दर्ज (लागत 44 लाख 23 हजार 353 रुपए)

गैंगस्टर राकेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 01- मु0अ0सं0 07ए/1988 धारा 157,323 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 02- मु0अ0सं0 01/1996 धारा 147,148,307,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 03- मु0अ0सं0 01बी/1996 धारा 394 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 04- मु0अ0सं0 36/1999 धारा 147,148,149,307,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 05- मु0अ0सं0 234/1999 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 06- मु0अ0सं0 73/2003 धारा 408,409,419,420 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 07- मु0अ0सं0 643/2015 धारा 147,148,323,504,506,457,307 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 08- मु0अ0सं0 259/2018 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 09- मु0अ0सं0 263/2018 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 10- मु0अ0सं0 1403/2020 धारा 419,420,467,468,471, 120बी भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
- 11- मु0अ0सं0 21/2021 धारा 323,504,506,341 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया ।
- 12- मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- मु0आरक्षी दिनेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- मु आरक्षी शैलेन्द्र गिरी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- आरक्षी आनन्द चौरसिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- आरक्षी विजय चौरसिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या अभियुक्त को प्रभावी पैरवी कर दिलायी गयी आजीवन कारावास की सजा* ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद, के निर्देशन में आपरेशन शिकंजा के तहत निर्नतर प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना खेसरहा पर पंजीकृत मेंमु.अ.सं.241/2017धारा 302भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिसमानिट्रिंग सेल सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17-09-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत थाना खेसरहा से सम्बन्धित आरोपितअभियुक्त को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगणअनिल चौधरी पुत्र जयराम चौधरी निवासी करमडीह जमुवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।जिसमें 50000/रु0 मृतक के माता-पिता को देने का आदेश पारित किया गया है ।सरकार की तरफ पैरवी ईश्वर चन्द्र दुवे, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार राजेश्वर चन्द्र, का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट- दिनांक 17.09.2022 थाना खेसरहा

थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 02 नफर वारन्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम पुलिस उपाधीक्षक बाँसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 17.09.2022 को भानु प्रताप सिंह थानाध्यक्ष खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में वारन्ट तामीला के दृष्टिगत 02 नफर वारन्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. राजेश पाण्डेय पुत्र रघुराज साकिन बरनवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. दुर्ग विजय पुत्र कमला साकिन बरनवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2 का0 जयसिंह चौरसिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3 का0 यादव बृजेश रामचन्द्र थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. का.विरेन्द्र कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
5. का.राहुल शर्मा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
6. म0का0 संगीता देवी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रस नोट:दिनांक 17.09.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में अमरेश कुमार प्रभारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 17.09.2022 को पुलिस टीम यातायात द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 33 वाहनों से 34500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रस नोट दिनांक 17-09-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

कोतवाली सिद्धार्थनगर के क्षेत्रान्तर्गत आपसी मारपीट की सूचना पर #PRV1499 ने घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुँचाकर बचायी जान

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम में सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी 112 के निर्देशन में कल दिनांक 16-09-2022 को रात्रि 22:00 बजे पीआरवी 1499 को इवेंट संख्या 1275 पर थाना सिद्धार्थनगर अन्तर्गत कोल्हुआ ढाला टोला साऊखोर से कालर ने मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दी। उक्त सूचना पर पीआरवी कर्मि तत्काल मौके पर पहुंचे तो कालर के लड़के को गंभीर चोट आई हुयी थी, जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दो पक्षों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था, जिस दौरान काँलर का लड़का घायल हो गया था। पीआरवी कर्मियों द्वारा घायल व्यक्ति को परिजनों के साथ पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया।

घायलों की जान बचाने वाली टीम-
कमाण्डर - उ0नि0 राजेन्द्र यादव
सब कमाण्डर - आरक्षी जयगोविन्द यादव
पायलट - होमगार्ड श्याममिलन

